दिनांक [illegible]

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र श्री [illegible] एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20 –01–2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 20–01–2022

आज पत्रावली पेश हुई। वादीगण मन्जू देवी पत्नि पदम, पूजा पुत्री पदम, सोनम पुत्री पदम, रेखा पुत्री पदम मय वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण अपने वाद पत्र को विदड्रो करना चाहते है। अतः खारिज फरमाया जावे।

चूंकि वादीगण अपने वाद पात्र को विदडो करना चाहते है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

नि मन्जू

नि. पूजा

सोनम

रेखा